vinetur

2027 से लागू होने से पहले ब्रिटेन ने आतिथ्य क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए टिप संबंधी संहिता में संशोधन किया

संहिता के तहत नियोक्ताओं को कर्मचारियों से परामर्श, हर तीन साल में नीतियों की समीक्षा और टिप संबंधी प्रक्रियाओं पर मिली गुमनाम प्रतिक्रिया साझा करनी होगी

गुरुवार, 19 नवंबर 2026



ब्रिटेन में पब संचालकों से अपनी टिप नीतियों की समीक्षा करने का आग्रह किया जा रहा है। सरकार ने मंगलवार, 17 नवंबर को संशोधित वैधानिक संहिता प्रकाशित की, जिसमें यह तय किया गया है कि कारोबारियों को कर्मचारियों से किस तरह परामर्श करना चाहिए और टिप्स का वितरण कैसे करना चाहिए।

संसद की मंजूरी के अधीन, संशोधित संहिता 1 जनवरी 2027 से लागू होने की उम्मीद है। यह Employment (Allocation of Tips) Act 2023 पर आधारित है, जो अक्टूबर 2024 में लागू हुआ था और जिसके तहत नियोक्ताओं को पात्र टिप्स का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वितरण करना अनिवार्य है।

संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, नियोक्ताओं को टिप नीति लागू करते या उसकी समीक्षा करते समय कर्मचारियों से परामर्श करना होगा, कम से कम हर तीन साल में नीति की दोबारा समीक्षा करनी होगी और परामर्श प्रक्रिया के दौरान मिली प्रतिक्रिया का गुमनाम सारांश कर्मचारियों को देना होगा। इन बदलावों का उद्देश्य टिप वितरण को अधिक पारदर्शी बनाना और कर्मचारियों को इन व्यवस्थाओं के निर्माण या उनमें बदलाव की प्रक्रिया में औपचारिक भूमिका देना है।

यह संशोधन आतिथ्य क्षेत्र के सभी हिस्सों के लिए अहम है, लेकिन पब, बार और रेस्तरां के लिए इसका विशेष महत्व है, जहां टिप पूल और सेवा शुल्क अक्सर ग्राहकों के सीधे संपर्क में रहने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा होते हैं। बीयर, वाइन और स्पिरिट्स की बिक्री पर केंद्रित कारोबारों के लिए नए नियमों के तहत कार्यस्थल की प्रक्रियाओं और सेवा से जुड़ी आय को टीमों के बीच बांटने के तरीके में बदलाव करना पड़ सकता है।

संशोधित संहिता में संचालकों को निश्चित या गारंटीकृत टिप आवंटन का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी गई है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि ऐसी व्यवस्थाओं का अन्य कर्मचारियों पर असंगत रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है, तो उन्हें अनुचित माना जा सकता है।

TiPJAR के मुख्य कार्यकारी बेन थॉमस ने कहा कि संहिता टिप आवंटन का कोई एक तय मॉडल निर्धारित नहीं करती, क्योंकि अलग-अलग कारोबार अलग तरीकों से चलते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि संचालकों को अपनी व्यवस्था के पीछे की वजहें भूमिका, काम के घंटे और जिम्मेदारी के स्तर जैसे निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर समझाने में सक्षम होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी उस व्यवस्था को समझें।

WMT Troncmaster Services के क्लाइंट सर्विस पार्टनर पीटर डेविस ने कहा कि यदि संचालक यह दिखा सकें कि निश्चित आवंटन निष्पक्ष हैं, तो उनका बचाव करना अपने आप में अधिक कठिन नहीं होता। उन्होंने कहा कि संहिता की चेतावनी का अर्थ है कि कारोबारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निश्चित या न्यूनतम भुगतान से अनजाने में कुछ कर्मचारियों को नुकसान न पहुंचे।

डेविस ने यह भी कहा कि दिशा-निर्देश मुख्यालय के कर्मचारियों को टिप आवंटित करने पर रोक नहीं लगाते। हालांकि, उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों का काम पूरी तरह प्रशासनिक है, उन्हें टिप देने को उचित ठहराना अधिक कठिन होगा। इससे संकेत मिलता है कि संचालकों को कर्मचारी की भूमिका और जिस सेवा के लिए टिप दी जाती है, उसके बीच स्पष्ट संबंध दिखाना होगा।

संशोधित संहिता जुलाई में सरकार द्वारा पहले के मसौदे को वापस लेने के बाद महीनों तक बनी अनिश्चितता के पश्चात आई है। इस कदम से आतिथ्य उद्योग में चिंता पैदा हुई थी। उद्योग संगठनों का कहना था कि नए ढांचे को व्यवहार में लागू करने के तरीके को लेकर संचालकों के पास पर्याप्त स्पष्टता नहीं थी।

UKHospitality के मुख्य कार्यकारी एलन सिम्पसन ने क्रिसमस के कारोबार के व्यस्त दौर के बाद तक कार्यान्वयन टालने और अधिक लचीला संक्रमण काल देने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यस्त त्योहारी मौसम के दौरान नए नियम लागू न करने की उद्योग की मांग पर ध्यान दिया।

साथ ही, सिम्पसन ने कहा कि कुछ अहम सवाल अब भी अनसुलझे हैं, खासकर यह कि टिप व्यवस्था के दायरे में किन कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संचालकों को अब भी इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि उन टीम सदस्यों तक नीति का दायरा कितना बढ़ाया जाए जो परिसर में काम नहीं करते, लेकिन सेवा में शामिल होते हैं।

यह मुद्दा उन बड़े पब और रेस्तरां समूहों के लिए अहम हो सकता है जो अपने कामकाज को अलग-अलग परिसरों और केंद्रीय टीमों में बांटते हैं। कारोबारियों को यह तय करना पड़ सकता है कि ग्राहकों के सीधे संपर्क वाली मुख्य गतिविधियों से बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को ट्रॉन्क या किसी अन्य टिप-साझाकरण व्यवस्था में शामिल किया जाए या नहीं, और क्या संहिता में दिए गए निष्पक्षता के मानदंड के तहत ऐसे फैसलों का बचाव किया जा सकता है।

डेविस ने कहा कि कर्मचारियों से परामर्श वास्तविक होना चाहिए, उसका दस्तावेजी रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और उसमें किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संचालकों को यह तय करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए कि उनका पहला वैधानिक परामर्श कब होना है। साथ ही, उन्हें मौजूदा ट्रॉन्क व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि संशोधित संहिता लागू होने पर वे नियमों के अनुरूप हों।

उनकी टिप्पणियां आतिथ्य कारोबारों के सामने मौजूद एक व्यापक परिचालन चुनौती की ओर इशारा करती हैं। जिन कंपनियों में पहले से टिप-साझाकरण व्यवस्था है, उन्हें न केवल टिप बांटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूले की जांच करनी पड़ सकती है, बल्कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड भी बनाने पड़ सकते हैं कि कर्मचारियों से कैसे परामर्श किया गया, क्या प्रतिक्रिया मिली और प्रबंधन ने अंतिम फैसला क्यों लिया। कई परिसरों में काम करने वाली पब कंपनियों और रेस्तरां समूहों को 1 जनवरी से पहले कई स्थानों पर पहले से चली आ रही प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी पड़ सकती है।

मूल लेख के अनुसार, उद्योग प्रतिनिधि सरकार से अधिक व्यावहारिक मार्गदर्शन की मांग भी कर रहे हैं। UKHospitality ने संचालकों को संहिता लागू करने में मदद के लिए अधिक जानकारी मांगी है। उसका कहना है कि केवल व्यापक सिद्धांत रोजमर्रा के उन सवालों का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते कि किसे शामिल किया जाए, अलग-अलग भूमिकाओं को कितना महत्व दिया जाए और यदि कारोबारियों की व्यवस्था को चुनौती दी जाए तो उन्हें कौन-से साक्ष्य देने होंगे।

अधिक मार्गदर्शन जारी होने तक कारोबारियों को सलाह दी जा रही है कि वे पारदर्शिता पर ध्यान दें और टिप व्यवस्था को कर्मचारियों के लिए आसानी से समझने योग्य बनाएं। पेय पदार्थों पर केंद्रित आतिथ्य कारोबारों में, जहां भर्ती, कर्मचारियों को बनाए रखना और टीम का मनोबल अब भी संवेदनशील मुद्दे हैं, जनवरी 2027 की लागू होने की तारीख नजदीक आने के साथ टिप संभालने का तरीका रोजगार नीति का अधिक स्पष्ट हिस्सा बन सकता है।